यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) II, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) II, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 18.07.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री निखिल गोस्वामी (व.ले.प.), श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम.त्रीपाठी, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.09.2017 से 03.10.2017 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	5021.54
2016-17	47267.14
2017-18	310.88

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17	-		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) II, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – 2 (अ)

प्रस्तर –01 कर का न्यूनारोपण ₹ 15.26 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(ii) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसुची-III में सम्मिलित विशेष प्रवर्ग के माल 'टिम्बर' के सम्बन्ध में विनिर्माता या आयातकर्ता के द्वारा विक्रय किये जाने पर 15% के करदेयता निर्धारित की गई है|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कoनिo) –II राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार 02 व्यापारियो द्वारा इलैक्ट्रिक वायर एवं टिम्बर की कुल ₹ 4,11,13,846/- बिक्री संगत वर्षो में की गयी जिस पर कुल ₹ 15.26 लाख का अतिरिक्त कर आरोपणीय था किन्तु विभाग द्वारा इसे आरोपित नहीं किया गया एवं इस पर नियामानुसार ब्याज भी देय था|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों की जाँच किये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र सं	व्यापारी का नाम / टिन सं	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम Electric	विक्रय की धनराशि (₹ में)	आरोपित कर(₹ में)/ कर की दर	आरोपणीय कर (₹ में)/ कर की दर	अन्तरीय कर (₹ में)
1.	सर्वश्री महामाया इंटरप्राइजेज देहरादून टिन: 05013755110 (**स्वत: कर निर्धारण**)	2015-16	Wire	₹ 1,29,89,116/-	6,49,456/- @ 5%	17,53,531/- @ 13.5%	Rs 11,04,075/-
2.	**सर्वश्री ग्रीन गोल्ड ट्री फार्मर प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून टिन:** 05005990551 (**स्वत: कर निर्धारण**)	2015-16	Timber	₹ 2,81,24,730/-	37,96,839/- @ 13.5%	42,18,710/- @ 15%	Rs 4,21,871/-
कुल				**Rs 41113846/-**			**Rs 1525946/-**

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 5.46 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii)(b) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 02 व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹54,65,858/- को विलंब से देय तिथि के बाद जमा किया गया था|(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियमानुसार ₹ **5**,**46**,**586**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी से युक्ति युक्त कारण जाना जायेगा एवं लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

अत**:** प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>संलग्नक</u>

क्र स.	व्यौहारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	कर की धनराशि (₹ में)	आरोपणीय अर्थदण्ड (₹ में)
1.	**सर्वश्री ग्रीन गोल्ड ट्री फार्मर प्राइवेट लिमिटेड**, **देहरादून टिन:** 05005990551 (**स्वत: कर निर्धारण**)	2015-16	04/2015	20.05.2015	30.05.2015	648394	64839.4
			05/2015	20.06.2015	25.06.2015	626915	62691.5
			07/2015	20.08.2015	26.08.2015	1082714	108271.4
			09/2015	20.10.2015	23.10.2015	245785	24578.5
			10/2015	20.11.2015	27.11.2015	263374	26337.4
2.	**सर्वश्री श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, देहरादून टिन:** 0500953396	2013-14	04/2013	25.05.2013	23.06.2013	335285	33528.5
			06/2013	25.07.2013	11.10.2013	134848	13484.8
			07/2013	25.08.2013	25.10.2013	472131	47213.1
			08/2013	25.09.2013	25.10.2013	420152	42015.2
			10/2013	25.11.2013	25.01.2014	342911	34291.1
			11/2013	25.12.2013	25.01.201**4**	271777	27177.7
			01/2014	25.02.2014	07.03.2014	276275	27627.5
			01/2014	25.02.2014	07.03.2014	984	98.4
			02/2014	25.03.2014	31.03.2014	3856	385.6
			02/2014	25.03.2014	31.03.2014	340457	34045.7
	कुल					5465858	546586

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-41/2008-09	01,02,03	01,03	
CT-29/2009-10	01	01	
CT-04/2010-11	-	01,03	
CT-19/2011-12	01	01,03,04,07,09	
CT-01/2012-13	01,02,05,06	01	
CT-04/2013-14	-	01	01,02,03
CT-23/2014-15	01	01,02,03,04,05	
CT-33/2015-16	-	02,03,04	
CT-33/2016-17	-	01,02,03,04,05,06	
CT-82/2017-18	-	01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) II, राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री प्रमोद जोशी	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)II, राज्य कर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र